जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 123 वीं बैठक दिनांक 26.02.2009 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2 से 4 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं एजेण्डा संख्या से 5 व 6 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी, द्वारा प्रेषित किया गया। कार्यवाही विवरण की पुष्टि बीपीसी (एलपी) की आगामी बैठक में की जावेगी।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पी. के. पाण्डे, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एन. एल. मीणा, अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती सीमा सिंह, अति. आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) एवं सदस्य सचिव जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्रीमति लवंग शर्मा वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमति प्रीती माथुर, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एच. एम. ढाका, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अजय असवाल,, उपायुक्त जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री बाबूलाल गोयल, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री गोपाल कृष्ण, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–स्कीमस्) जविप्रा, जयपुर।
10. श्री ओ.पी पारीक, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
11. श्री ओ.पी. शर्मा, तकनीकी सहायक, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
12. श्री टी.एस. राठौड, उप नगर नियोजक, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री हरिप्रसाद शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
15. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12 जविप्रा, जयपुर।

<u>एजेण्डा विवरणः–</u>

<u>एजेण्डा संख्याः–1</u>

विषयः–बीपीसी (ले आउट प्लान) की 122 वीं बैठक दिनांक 19.02.09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण जारी नहीं होने के कारण पुष्टि आगामी बैठक में किया जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

<u>एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–7)</u>

<u>वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)</u>

123/26.02.09

विषयः–रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक विहार में स्थित 40' सेक्टर रोड को परिवर्तित करने या विलोपित करने के संबंध में।

जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–7)
वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)

123/26.02.09

विषयः–सयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की आफिसर्स कैम्पस विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 266, व 267 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों भूखण्ड राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–3() नविवि/03/07 दिनांक 24.12.07 की चारों शर्तों की पूर्ति करते है इसलिये इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने की अनुशंसा करते हुये आदेश दिनांक 21.12.07 के क्रम में राज्य सरकार को परीक्षाणर्थ भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार को प्रकरण भेजने से पूर्व गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जविप्रा को प्रस्तुत योजना मानचित्र व जविप्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र तथा अन्य दस्तावेजों से भूखण्ड संख्या 266 व 267 का क्षेत्रफल जोन द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–7)
वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)

123/26.02.09

विषयः– भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना "नन्द गांव" में भूखण्ड संख्या 83 को सृजित/नियमन करने के संबंध में।

जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को भूखण्ड के आस–पास रोड नेटवर्क की स्थिति जोन द्वारा तैयार कर व अन्य संबंधित सभी तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–11)
वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)

123/26.02.09

विषयः– ग्रास फिल्ड फायर कैपिटल्स डवलपर्स प्रा0 लि0 की वृहद आवासीय योजना (टाउनशिप योजना) अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण स्थगित रखा गया।

एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–11)
वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)

123/26.02.09

विषयः– मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना "सचिवालय" नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 19.02.09 के निर्णय के संबंध में सहकारी समिति के प्रशासक द्वारा 60:40 में योजना प्रस्तुत की है। उसे निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1. सहकारी समिति की पुरानी योजना होने के कारण 80'–0" चौडी सडकों के दोनों ओर व्यावसायिक भू–पट्टी नहीं रखी जावे।
2. जिन खसराओं की भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन है उस भूमि के प्रस्तावित भूखण्डों को स्वीकृत नहीं किया जावे।
3. जिस भूमि का ग्रामीण से आवासीय में भू–उपयोग उपान्तरण नहीं हुआ है तथा 90बी की कार्यवाही नहीं हुई है उस भूमि में प्रस्तावित भूखण्डों को अस्वीकृत किया जाता है।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) /प्रोजेक्ट/2009/डी–58
दिनांक :– 27/2/9
प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।,
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।,
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान), जविप्रा
जयपुर।